



Letter No.: AKTU/IH/2025/367

Date:05/02/2025

To The Directors Affiliated Institutions of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Lucknow, Uttar Pradesh

Subject: Encouraging Final Year Students/ Startups to Avail Collateral-Free Loan under CM Yuva Scheme

Dear Madam/Sir,

Greetings from Innovation Hub.

As an institution affiliated with Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU), your commitment to fostering innovation and entrepreneurship among students is commendable. In alignment with this vision, we wish to bring to your attention the **Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan** initiated by the Government of Uttar Pradesh.

This scheme is designed to empower young entrepreneurs by providing **interest-free and collateral-free loans up to INR 5 lakh** to support the commercialization of their innovative projects. Eligible candidates who successfully repay their loans in Phase 1 can also avail additional financial assistance under **Phase 2** for business scale-up.

Key Features of the Scheme:

- Loan Amount: Up to INR 5 lakh (Phase 1), and up to INR 10 lakh (Phase 2 for successful applicants)
- Eligibility: Residents of Uttar Pradesh, aged 21-40 years, having at least Class 8 qualification
- ♥ Interest-Free & Collateral-Free Loan
- Special Margin Money Benefits for SC/ST/OBC categories
- Support for Manufacturing & Service Sectors
- Project Cost Coverage: Phase 1 covers projects up to INR 5 lakh, and Phase 2 covers projects up to INR 10 lakh

Margin Money Requirements:

- I5% for General Category
- 12.5% for OBC Category
- I0% for SC/ST Category

Additional Benefits:

- Digital transactions incentive: INR 1 per transaction, up to INR 2000 per year
- Business scale-up support in Phase 2
- Coan tenure of up to 4 years with a 10% margin grant upon successful repayment
- Assistance available through all financial institutions notified by RBI

- Exclusively available for new enterprises and startups; applicants who have already availed government grant schemes are not eligible
- Sectors excluded: Tobacco, Gutkha, Alcohol, Aerated Beverages, Cracker Manufacturing, and Low-Micron Plastic Bags

Your esteemed institution is suggested to actively encourage final-year engineering students, especially those working on innovative projects, to take advantage of this opportunity. By doing so, they can transform their academic innovations into successful entrepreneurial ventures.

You are expected to disseminate this information among students, Startups and faculty members through workshops, awareness sessions, and career counseling programs. For more details, students can visit <u>http://msme.up.gov.in</u> or reach out via email at <u>cmmyuva@gmail.com</u>.

Interested candidates are suggested to fill the below form or scan QR below to submit the application.

https://bit.ly/CM-YUVA-Udhyami

We appreciate your cooperation in shaping the next generation of entrepreneurs and look forward to your support in making this initiative a success.



Regards

(Prof. Jai Prakash Pandey) Vice-Chancellor

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश







''हर कदम उद्यमिता की और, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर''



आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, निर्यात भवन, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001

अधिक जानकारी हेतु कृपया एम.एस.एम.ई. पोर्टल http://msme.up.gov.in पर लॉग–इन करें । अथवा ई–मेल cmmyuva@gmail.com पर सर्म्पक करें।







- 295 बिलियन डॉलर की जी०एस०डी०वी० के साथ उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय जी०डी०पी० में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान करती है।
- प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या में 56 प्रतिशत युवा हैं, जो प्रदेश के कार्य बल का निर्माण करते है।
- इस युवा प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अत्यन्त महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम–युवा) लागू किया गया है।
- इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 01 लाख सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना कराकर 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।
- दस वर्षों में कुल 10 लाख उद्यम स्थापना के माध्यम से 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार युक्त बनाना।

1. योजना की मुख्य बाते

- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21–40 वर्ष के युवाओं को उत्पाद/सेवा सम्बन्धी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना।
- प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

प्रथम चरण-

- रू० 5.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 04 वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त कोलेटरल गांरटी मुक्त ऋण ।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, ओ०बी०सी० को 12.5 प्रतिशत, एस०सी०/ एस०टी०/दिव्यांग को 10 प्रतिशत तथा अकांक्षात्मक जिलों-चित्रकूट, चन्दौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थियों की 10 प्रतिशत स्वंय का अंशदान जमा करना होगा।
- परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एवं 04 वर्षो तक सी०जी०टी०एम०एस०ई० प्रतिपूर्ति ।
- परियोजना लागत में भूमि–भवन सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।

द्वितीय चरण-

- प्रथम चरण में लिये गये मूलधन/पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा।
- रू० १०.०० लाख तक परियोजना स्थापित की जा सकेंगी, परन्तु रू० ७.५ लाख तक के ऋण पर ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान ०३ वर्षो तक दिया जायेगा।
- ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम १० प्रतिशत टर्म लोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी।
- सी०जी०टी०एम०एस०ई० कवरेज ०३ वर्षो तक।







2. पात्रता की शर्ते

- आयु सीमा-21 से 40 वर्ष ।
- शैक्षणिक योग्यता–न्यूनतम कक्षा–८ उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता ।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ०डी०ओ०पी० प्रशिक्षण योजना, एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० प्रशिक्षण योजना, उ०प्र० कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टीफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो।

3. आवेदन प्रक्रिया

- एम०एस०एम०ई० पोर्टल https//msme.up.gov.in पर ऑन–लाइन आवदेन ।
- जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षणोंपरान्त ऑनलाइन रूप से बैंको को प्रेशण।
- बैंको के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति/वितरण की व्यवस्था।
- बैंको द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान, सी०जी०टी०एम०एस०ई० प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था।

4. विविध

- डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के सापेक्ष रू० ०१ प्रति ट्रांज़ैक्शन तथा अधिकतम रू० २००० प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होगा।
- योजना में समस्त राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड/ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण हेतु पात्र।
- तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
- योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। जिले स्तर पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
- योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा योजना का संचालन/अनुश्रवण इत्यादि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, प्रमुख सचिव एम०एस०एम०ई० की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति के माध्यम से किया जायेगा।



विस्तृत जानकारी एवं आवदेन हेतु आज ही अपने जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क करें।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, ८ कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001 ई–मेल आई0डी0–cmmyuva@gmail.com

MUKHYAMANTRI YUVA UDYAMI VIKAS ABHIYAN

- CUT

कॉम अभियाद


CM Yuva: By Government of UP


Introduction

- Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan (CM Yuva) has been started by the state government to make the youth of the state economically independent aiding them in establishing their enterprises.
- By promoting entrepreneurship, the initiative seeks to generate employment opportunities in both rural and urban areas.
- It aims to initiate one lakh young entrepreneurs every year by providing interest-free loans for projects of up to Rs 5 lakh.
- This initiative will directly benefit one million units (10 lakh units) over the next 10 years by financing 1,00,000 units annually.



Eligibility





MARGIN MONEY REQUIREMENT


15% of the Project Cost for General Category.

12.5% of the Project Cost for OBC Category.

10% of the Project Cost for SC/ST Category.





5



सीएम युवा

CM Yuva





Other Benefits

- For digital transactions, an additional grant of INR. 01 per transaction and maximum Rs 2000 per year will be payable per beneficiary.
- All Indian Financial Institutions Notified by the RBI are eligible for above benefit distribution.



CM Yuva



